बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2022

- आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7 फरवरी, 2022 को राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2022 को पेश किया। बिल निम्नलिखित में संशोधन करता है: (i) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (एससी आदेश), और (ii) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (एसटी आदेश)। एससी आदेश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां (एससीज़) मानी जाने वाली जातियों, मूलवंश और जनजातियों को निर्दिष्ट किया गया है। एसटी आदेश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियां (एसटीज़) मानी जाने वाली जनजातियों और जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट किया गया है।
- **झारखंड में एससी और एसटी सूची में परिवर्तन**: बिल झारखंड में एसटी सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए एसटी आदेश की अनुसूची में संशोधन करता है। ये समुदाय हैं, देशवारी, गंझू, दौतलबंदी (द्वालबंदी), पटबंदी, राउत, माझिया, खौरी (खेरी), तमरिया (तमड़िया) और पुरान समुदाय। इसके अतिरिक्त झारखंड की एससी सूची से भोगता समुदाय को निकालने के लिए एससी आदेश की अनुसूची में संशोधन किया गया है। इसके स्थान पर इस समुदाय को राज्य की एसटी सूची में शामिल किया गया है।

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

शुभम दत्त
shubham@prsindia.org

22 फरवरी, 2022